

“समझौता ज्ञापन”

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता, पी० एम० जी० एस० वाई०, खण्ड-लो०नि०वि०-कर्णप्रयाग (कार्यदायी संस्था)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नापभूमिधर जिनकी भूमि बगोली-चूला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज वर्ष २०१४ के १२ महीने की १३ तारीख को निष्पादित किया गया है।

- 1- यह सहमति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
- 2- यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण /मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है। उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा तथा भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग के नाम किया जायेगा।
- 3- यदि कोई विवाद होता है, तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

उसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

नाम भूमिधर	पिता का नाम	हस्ताक्षर
1- एकर सिंह S/O दिवान सिंह	— पुष्पकान्त सिंह	
2- सुजान सिंह S/O मेहरवान सिंह	— सुजान सिंह	
3- राजेन्द्र सिंह S/O दिवान सिंह	— राजेन्द्र सिंह	
4- इकर सिंह S/O चन्द सिंह	— इकर सिंह	
5- हरेंद्र सिंह S/O गोविन्द सिंह	— हरेंद्र सिंह	
6- विनोद सिंह S/O शिशुपाल सिंह	— शिशुपाल सिंह	
7- लक्ष्मण सिंह S/O राज सिंह	— लक्ष्मण सिंह	
8- निरंजन लाल S/O गोविन्द लाल	— गोविन्द लाल	
9- कलशोदर लाल S/O गोविन्द लाल	— गोविन्द लाल	
कार्यदायी संस्था की ओर से	हस्ताक्षर	गवाह

पदनाम:- अधिशासी अभियन्ता,
नाम:- इं० नरेन्द्र सिंह
पदनाम:- अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड,लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग।

गणमान्य/प्रतिनिधि

क्षेत्र पंचायत बबोली वाई
वि०ख० कर्णप्रयाग (बबोली)

संजय उप निरीक्षक
नलगाँव / कोटी



“समझौता ज्ञापन”

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता, पी० एम० जी० एस० वाई०, खण्ड-लो०नि०वि०-कर्णप्रयाग (कार्यदायी संस्था)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नापभूमिधर जिनकी भूमि बगोली-चूला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज वर्ष २०१४ के १२ महीने की २३ तारीख को निष्पादित किया गया है।

- 1- यह सहमति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
- 2- यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण /मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है। उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा तथा भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग के नाम किया जायेगा।
- 3- यदि कोई विवाद होता है, तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

उसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

नाम भूमिधर	पिता का नाम	हस्ताक्षर
1- दरबारा सिंह	श्री. हर सिंह	
2- ब्यालारा सिंह	“	
3- लक्ष्मणारा सिंह	“	
4- सुभाषारा सिंह	दो दरबारा सिंह	
5- रघुबारा सिंह	- do -	
6- नरेश सिंह	- do -	
7- कुंवर सिंह	-	
8- राजेश सिंह	-	
9- विष्णुपाल सिंह	-	
10- विमलेश सिंह	-	
कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर	गवाह	

पदनाम:- अधिशासी अभियन्ता,
 नाम:- इं० नरेन्द्र सिंह
 पदनाम:- अधिशासी अभियन्ता,
 पी०एम०जी०एस०वाई०,
 खण्ड,लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग।

गणमान्य / प्रतिनिधि
 क्षेत्र पंचायत बगोली वार्ड
 वि०ख० कर्णप्रयाग (बगोली)

राजस्व उप निरीक्षक
 नलगौव / कोटी